गणतंत्र दिवस पर सुरभान भिलाला से ओ.पी रावत को खुला पत्र

जमीन हक सत्याग्रह (जोबट) के 2 महीनों के बाद

दिनांकः 26, जनवरी, 2012

प्रति,

श्री ओ. पी. रावत,
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (मध्यप्रदेश)

प्रिय रावत जी,

सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के संबंध में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार दिनांक 28/12/2011 में आपके द्वारा दी गई गलत, गैरकानूनी तथा गुमराह करने वाली बयान के जवाब में यह पत्र आपको लिखा जा रहा है। जोबट शासकीय कृषि–फार्म में विगत 2 महीनों से अनिश्चितकालीन जमीन हक सत्याग्रह पर बैठे डूब प्रभावितों की तरफ से, मैं सुरभान भीलाला, ग्राम ककराना, तहसिल सोण्डवा, जिला अलिराजपुर का पहाड़ी आदिवासी, आपके प्रत्येंक वाक्य को जवाब देते हुए, इस बहस में सच, कानून और तर्क वापिस लाना चाहता हूँ।

मेरा जमीन सन् 1996 से डूब प्रभावित होता गया, मगर मुझे आज तक नर्मदा न्यायाधिकरण और सर्वोच्च अदालत के आदेशों के तहत वैकल्पिक कृषि–योग्य जमीन तथा विकसित वसाहट में घर प्लाट नही दिया गया। देश का कानून कहता हैं कि मेरा पुनर्वास 1996 के पहले होना **था। मगर आज तक मेरा सही, कानूनन पुनर्वास नही हुआ हैं**। सैकड़ो डूब प्रभावितों के साथ, सही पुनर्वास के लिए कई सालों से मैं शांतिपूर्ण रूप से संघर्ष कर रहा हूँ। शासन के हर स्तर पर चर्चा, धर्ना–प्रदर्शन, अंशन, जेल, लाठी–चार्ज और न्यायालयीन आदेशों के बावजुद, **आज तक मध्यप्रदेश में एक भी विस्थापित को भी सही, खेतीलायक जमीन नही दिया गया।**

हमारी खेती डूब जाने से हम कई सालों से **अतिगरिब परिस्थितियों में जीवनयापन** कर रहें हैं और विकल्पहीन स्थिति में हम इस जमीन हक सत्याग्रह पर उतरे है। जोबट के शासकीय कृषि–फार्म पर हम, हमारा कानूनी जमीन का अधिकार जताने आए है। यहाँ हम गेहूँ, मक्का और सब्जियाँ बोकर, खेती कर रहें है। सरकार ने बिजली और सिंचाई व्यवस्था से हमें वंचित किया है, इसके बावजूद, **हम इस जीमन को, हमारे जमीन को पकड़कर बैठे हैं**। हमारें अनुसार **यह अवैद्य कब्जा नही है, अतिक्रमण भी नही हैं। यह एक अधिकार है। नागरिकता का अधिकार, जीने का अधिकार, एक ऐसा अधिकार, जो इस देश के राष्ट्रपति भी हमसे छीन नही सकते हैं** और न ही हमारें मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान या आप। हमारा कानूनन पुनर्वास आप करेंगे तो हम सत्याग्रह पर क्यों बैठेगें? **'निर्णय' आपके हाथों में है।**

इस देश का सर्वोच्च अदालत कहता है, ''भूख से कोई नही मरना चाहिए''। मगर म.प्र. के डूब–प्रभावित पहाड़ी गांवों में **हम विगत एक दशक के उपर से भूखमरी की परिस्थितियों में जी रहें है।** क्या आपने कभी यह जानने या जांचने का परवाह किया कि हमारी जमीनें डूबने के बाद, हमारी आजीविका खत्म होने के बाद हम कैसे जी रहे है? क्या खा रहे है? सवौच्च अदालत के आयुक्तों ने और सलाहकार ने बार–बार स्पष्ट किया कि हमारें गाँवों मे गंभीर खाद्य असुरक्षा और भूख की स्थिति हैं। मगर इससे भी प्रशासन हिला नही। एक इंच खेतीलायक जमीन नही मिला।

हमारे परिस्थिति में आप खड़े होकर सोचिए। अगर आपके 10 सालों के लिए नौकरी से बेदखल किया जाता या वर्तमान पद से हटाकर आपको चपरासी बना दिया जाता, तो आपको कैसा लगेगा? आप और आपका परिवार कैसे गुजारा करेंगे? क्या अपको नही महसूस होता कि आपके अधिकारों का उल्लंधन किया जा

रहा हैं? क्या आप आपने अधिकार कि लिए नही लड़ते? हम भी यही कर रहें हैं, तो आप क्यों कहतें है कि हमारा अंदोलन गलत है?

सरकार ने पहले हमें विस्थापित किया। फिर सालों तक हमें भूख रखा। और फिर सरकारी कागजातों पर हमें गायब कर दिया। क्या शासन करने का यह सही तरीका है? हमारें उपर इल्जाम लगाने के पहले कि हमारा ''आंदोंलन का तरीका गलत है'', क्या आपको नही लगाा कि **आपके शासन करने का तरीका गलत है** ? आपने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को झूठा जानकारी दिया है कि तीन राज्यों में पुनर्वसित होने वाले शेष परिवारों की संख्या '0' हैं। इससे बडा घोटाला कोइ भी शासन नही कर सकती है। अलिराजपुर कलेक्टर का कहना है कि अभी भी कई परिवारों का पुनर्वास बाकी है। **शासन के अंदर ही यह कैसा द्वन्द्व हैं?**

अगर हमारा आंदोलन 'गलत' है और आप सही है, तो हमसे आप चर्चा क्यों नही करते है? आप ही बताइए कि हम कहाँ, कैसे और क्यों गलत है ? आपको मालूम होगा कि बड़वानी की शासकीय कृषि–फार्म पर जब हमनें 2007 में खेती किया और उसके लिए हमारे उपर लाठियाँ बरसाए गए, उच्च न्यायालय ने हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार भंग करने के लिए प्रत्येक सत्याग्रही को 10,000 रू का नुकसान भरपाई दिलवाया। शायद इस प्रकार की घटना फिर से नही हो, यह आप चाहते होगें। मगर यही कारण नही हैं। मुख्य वजह तो **यह निर्विवादित हकीकत है, कि आज तक हमारा कानून पुनर्वास नही हुआ हैं। यह आप भी जानते है।**

आपने कहा कि उच्च न्यायालय और GRA में 'हार जाने' के बाद, हम इस सत्याग्रह पर उतरे हैं। यह पूर्णतः अवास्तविक और बेबुनियाद आरोप है। **हम न तो उच्च न्यायालय में हार गए और न ही GRA में**। दूसरी तरफ, सर्वोच्च अदालत और GRA ने बार–बार आपको आदेशित किया कि हमें खेतीलायक, सिंचित जमीन और वसाहटों में सभी सुविधाओं के साथ घर प्लाट दिया जाना चाहिए। **हमें सही तरीके से नही पुनर्वीसत करने के कारण, आप ही हार गए। वैसे, यह आपके और हमारें बीच 'हार' या 'जीत' का मुद्‌दा नही है, यह मुद्‌दा है सच और झूठ का, न्याय और अन्याय का, कानून का अमल और कानून की अवमानना करने का हैं। यह मुद्‌दा है लोगों के अधिकार और राज्य की भूमिका का।**

आपने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत हैं तो शिकायत निवारण प्राधिकरण में जाना चाहिए और अगर वह कोई आदेश देता है, तो आप उसका पालन करेंगें। हाँ, हम GRA गए थे। **कई प्रकरणों मे GRA ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हमें खेतीलायक जमीन और घर प्लाट दिया जाना चाहिए। मगर एक प्रकरण में भी खेतीलायक जमीन नही दिया गया।** स्वयं मेरे भाई भीरा पिता नानसिंग के प्रकरण में GRA ने कहाँ कि विस्थापित 15 सालों से राहत का इंतजार कर रहा है, इसलिए इसका जल्द से जल्द पुनर्वास होना चाहिए। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने न तो इस आदेश का पालन किया और न ही एसे सैकड़ों आदेशों का, जिनमें खेतीलायक जमीन देने की बात स्पष्ट कहा गया। **किस आधार पर आप कहते हैं कि आप आगे के GRA आदेशों का पालन करेंगे? क्या आपकी अपेक्षा है कि हम अभी भी आपके आश्वासनों मे विश्वास करे?** GRA और सर्वोच्च अदालत के आदेशों का पालन नही करने के लिए और **अदिवासियों पर जान–बूझकर अत्याचार** करने के लिए संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही क्यों नही किया जाना चाहिए ?

रावतसाब, मध्यप्रदेश सरकार आपने कानूनी जिम्मेदारी से कितना दूर और कब तक भागती रहेगी? **आपने हमे जबरन विस्थापित किया। मगर आप हमें कभी भी 'गायब' करने में सफल नही हो सकते हैं।** आप किस आधार पर कह रहें है कि ''पुनर्वास संपूर्ण हो गया है''? **अगर पुनर्वास पूरा हो गया, तो इस सत्याग्रह पर बैठे हम सब कौन है**? कौन है हम, मूल गांवों में आज भी जान को हथियार बनाकर बैठे सैकड़ो लोग? पहाड़ी पट्‌टी में और मैदानी क्षेत्र में, कौन है हम? **क्या आप शपथ–पत्र पर न्यायालय को कह सकते है कि ''पुनर्वास पूरा हो चुका है?''** अगर पूरा हो चुका है, तो सरदार सरोवर के पुनर्वास कार्यालय अभी तक क्यों चल रहे है, इतने अफसरों को वेतन क्यों दिया जा रहा है? यह नौकरशाही किसके लिए? अगर पुनर्वास पूरा हो गया, तो केंन्द्र सरकार बांध की उचांई 17 मीटर आगे क्यों नही बढ़ाती, जो कि सन् 2006 से रूका पड़ा है? पूरा क्या, सरदार सरोवर में आज भी हजारों का पुनर्वास बाकी है। आज के गति में, और कई साल लग जाएँगे। और जब तक आखरी पात्र विस्थापित का पुनर्वास नही होगा, हमारा सत्याग्रह चलेगा।

आपको याद होगा, जून 2010 में आप स्वयं मेरे गांव ककराना गए थे और लोगों को बताया कि ग्राम रिंग्नोद में पुनर्वास के लिए योग्य जमीन है और हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद, जब मैं भोपाल कार्यालय में आपसे मिला था तो आप हमें ककराना भ्रमण के बारे में बताने से इन्कार कर दिया। लैण्ड–बैंक के संबंध में पूर्व में हुए कड़वे अनुभव के बावजूद, हमने आपके शब्दों में विश्वास किया। मैं, मेरा 80 साल बुजुर्ग पिताजी नानसिंग, मेरे चारों भाई और कुछ और विस्थापित उक्त जमीन देखने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकारण के अधिकारियों के साथ रिंगनोद (तहसिल सरदारपुर, जिला धार) गए। मगर वहां के **पुराने अतिक्रमणदारों ने हमारे उपर पत्थर बाजी किया और नघाविप्रा के अधिकारियों ने हमारे साथ कुत्तों से भी घटिया बर्ताव किया।** इस पूरे घटना के बारे में मैनें आपको लिखा, मगर **आपसे एक शब्द का जवाब भी नही** मिला, सहानुभूति तक नही दिखाया। **हमने जमीन मांगा तो हमें पत्थरों से चोट मिला। वैसे, अतिक्रमत जमीन देना गैरकानूनी हैं** और GRA ने ही कहा हैं कि इससे सामाजिक तनाव बढाते हैं। हमारे अधिकारों के उल्लंघन के साथ, अन्य गरीब अतिक्रमणदारों के भी अधिकारों का हनन है। रिंगनोद सिर्फ एक ही उदाहरण है, बुरी जमीनों के द्वारा धोखाधड़ी की गाथा तो काफी लम्बा हैं।

आपने कहा कि लैण्ड–बैंक के अतिरिक्त दूसरे जमीन पर विचार करना अभी संभव नही है। आपके संयुक्त निर्देशक श्री ए.के. खरे ने पत्रिका से बातचीत करते हुए कहा है कि जमीन खरीदकर पुनर्वास करना बहुत मुश्किल है। मा. सर्वोच्च आदालत के आदेशों पर कृपया पुनः गौर करें।

मार्च, 2005 में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा हैं कि ''विस्थापितों को **सही में खेतीलायक एवं संचित जमीनें** प्रस्तावित किया जाना चाहिए तथा **साथ में नर्मदा प्राधिकरण में उल्लेखित मूलभूत सुविधाएँ तथा लाभ** भी दिया जाना चाहिए।

मई, 2011 मे अदालत ने कहा कि ''लैण्ड–बैंक में उपलब्ध जमीन के **अतिरिक्त जमीन शासन को खोजना चाहिए** तथा उसे खरीदकर, विस्थापितों को आवंटित करने का तरीका भी निकालना चाहिए। शासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त जमीने दूसरों द्वारा अतिक्रमित नही हो।''

क्या न्यायालय के आदेश आपके ऊपर बंधनकारक नही है? लैण्ड–बैंक के अलावा अन्य जमीनों पर विचार करने में क्या कठिनाई है? **क्या लैण्ड–बैंक पर आपका जिद कानूनी, तर्कपूर्ण, न्यायपूर्ण है? क्या यह जरूरी भी है?** पुनर्वास उपदल के अध्यक्ष, नई दिल्ली ने भी म.प्र. के मुख्य सचिव से अपेक्षा किया कि सभी विस्थापितों का 100 प्रतिशत जमीन–आधारित पुनर्वास होना चाहिए और इस दिशा में **गुजरात और महारष्ट्र की तरह**, म.प्र. मे भी जमीन खरीदी समितियाँ स्थापित करके, जमीन आवंटित किया जाना चाहिए। जब इन दो राज्यों में पुनर्वास नीति पर आधारित विस्थापितों की मांग के अनुसार खेतीलायक जमीन खरीदकर दिया गया है, तो **मध्यप्रदेश में यह संभव क्यों नही है**? क्या म.प्र. भारत का हिस्सा नही है? क्या आप उन्ही कानूनों से बंधक नही है, जिससे दूसरे राज्य सरकारें है? हम जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है कि राज्य–वार पुनर्वास नीतियाँ भिन्न हो सकती है। मगर सरदार सरोवर में तो **नर्मदा न्यायाधिकरण के अनुसार तीनों राज्यों की जिम्मेदारी हैं कि वह खेतीलायक, सिंचित जमीन ही आवंटित करें।** यह न्यूनतम प्रावधान है और 'पुनर्वास' इससे बेहतर होना चाहिए, इससे कम नही, यही न्यायालय के आदेशों का तात्पर्य है। **क्या आप इस स्पष्ट विधि–प्रावधान को नकार सकते है?**

अगर जमीन खरीदना इतना ही 'मुश्किल' है, तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल, 2010 में सर्वोच्च अदालत को शपथ–पत्र क्यों और किस आधार पर दिया कि वह स्वेच्छापूर्वक निजी खातेदारों से जमीन खरीदकर, विस्थापितों को आवंटित करेंगें? **हमें डुबाने के बाद, शासन आसानी से हमारा अस्तित्व को ही मिटा रही है**। और जब भी हमने याद दिलाया कि हम जिन्दा है, तो हमारें साथ कीड़ों से भी बुरा व्यवहार किया गया। आप हमें भूल गए होंगे, हमे नजर अंदाज कर सकते हैं, मगर हम न ही आपको (शासन को) भूलेगें न ही छोड़ेगें। **आगर शासन को लगता है कि 'व्यापक जनहित' मे वह हमें विस्थापित कर सकती है, तो शासन की उतनी ही जिम्मेदारी बतनी है, यह सुनिश्चित करना कि हमारा पुनर्वास भी कानूनन और न्यायपूर्ण तरीके से हो। जब तक यह नही होगा, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा।**

रावतसाब, कृपया अभी तो हकीकत से भागना बंद कीजिए। **हकीकत का सामना कीजिए**। लैण्ड–बैंक में अधिकांश जमीन पथरीली है। कृषि–योग्य जमीन नही है। इसलिए अन्य जमीन चयनित करके, आवंटित

करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नही है। और यह जल्द ही किया जाना चाहिए। **अगर लैण्ड–बैंक में अधिकांश जमीन सही में अच्छी होती, तो** मध्यप्रदेश मे विभिन्न बांधो से विस्थापित हजारों लोगों मे से **एक ने भी लैण्ड–बैंक की जमीन को क्यों नही स्वीकार किया**? आज के तारीक पर कितने लोग लैण्ड–बैंक की जमीन पर खेती कर रहे है, हमे आप जानकारी दीजिए।

'भू–अर्जन और विस्थापन' राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा में आज महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, मगर नर्मदा से देश–विदेश तक पहुँची यह जवलंत समस्या का आज भी पूरा समाधान नही हुआ है। 'जनहित' के लिए हमारी खेती–आबादी–संस्कृति डूबाने के बाद आज भी हम देश की सत्ता–व्यवस्था को चुनौती देकर, यहाँ जोबट में बैठे हैं। **हमारा जमीन डूबा है, हमारा अस्तित्व नही, कभी नही........हमारा भविष्य नही डूब सकता..... बिल्कुल नही।**

मै आज आपके सामने उस 'कीड़ों की पिटारा में से एक कीड़ा के रूप में खड़ा हूँ , जिसे खोलने से आप बहुत डर रहे है। मेरे पीछे कई' और कीड़े खड़े है। अंजनवारा गांव का खजान चुपा, जलसिंधी की जानकीबाई, भिताड़ा का खुमान, भादल का मांगलिया, सुगठ का गणपत, झंडाना का भायटा और सेकड़ौं लोग, जिनमें से अभी तक कई 'घोषित' भी नही हुए, मगर लडने के लिए तैयार है। **हम न ही इस सत्याग्रह से हटेगें और न ही हमारे हक लेने में कमजोर पड़ेगे। जब तक आप हमें कानून पुनर्वास नही देंगे, जोबट का यह जमीन 'हमारा जमीन' होगा।** क्या आप हमें फांसी पर चढ़ाएँगे? क्या हमें आजीवन कारावास देंगे? क्या यही है वह 'आदर्श पुनर्वास' जिसका सपना हमको दिखाया था और जिसके आधार पर हमारे गाँव डुबाए गए? **क्या यही है वह 'राष्ट्रहित' जिसके लिए हमारा पूरा जिंदगी हमें त्यागना पडा? जवाब दीजिए।**

नर्मदा न्यायाधिकरण के अनुसार पुनर्वास का समस्त खर्चा गुजरात राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। तो आप हमें क्यों नही जमीन आंवटित कर रहे है? **अगर आपने हमें समयानुसार पुनर्वसित नही किया, तो क्या वह हमारा गुनाह है? आपके अधिकारियों–कर्मचारियों ने सैकड़ो करोड़ रूपए 'भ्रष्टाचार' में बर्बाद कर दिया, तो क्या यह हमारा गुनाह है?** 'राष्ट्रहित' में हम 15 सालों से विस्थापन का कीमत चुका रहे है और अभी आपके अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों और अपराधों का कीमत भी आप हमसे वसूल करना चाहते है। **गलती आपका (शासन) और सजा हमारे माथे? क्या यह न्याय है? क्या यही कानून का शासन है ?**

क्या हम पहाड़ी आदिवासियों के ऊपर यह सबसे घिनौना अत्याचार नही है, जिनके नाम पर आपने पुरस्कार स्कार लिया हैं और जिनके नाम पर हमारे मुख्य मंत्री भीमा नायक और टंटिया मामा के गुण गाते है? **अगर आप सही मे हम आदिवासियों के हितैषी है**, तो हमारे कानूनी अधिकारों सें, हमारे जीने के अधिकार से हमें क्यों वंचित कर रहें है? **हमें जमीन दीजिए, हमें जीने दीजिए.........**

मेरा पिता अभी 80 साल का है। उन्हें कब जमीन दिया जाएगा, वे कब खेती करेग, बताइएं? वे और मेरे जैसे सैकड़ो विस्थापित आपके अभिलेखों में '0' (गायब) हो गए है।

मगर नही ....हम कागज पर नही ....जमीन पर बैठे है.......जमीन के बिना..... मगर जमीन के लिए...... भूखे है, मगर ताकत है.......थके हुए है, मगर हारे नही....हमारे आखरी दम तक हम हमारे जमीन के अधिकार, जीने के अधिकार के लिए लडते रहेंगें।

अगर आप हमारा पुनर्वास नही कर सकते है तो बांध खाली कर दें........पानी छोड दें....हमारा पुराना जमीन हमें वापिस दे दें। सलाम !

सुरभान भिलाला
(एक कीडा, जो भारत का नागरिक है)